न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-02/2019
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3
सरकार
बनाम
नीरज कुमार यादव, पे0-रामानंद यादव, सा0-पत्थरदेवा, थाना-नरपतगंज(बथनाहा), जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
23.03.2019	पुलिस अधीक्षक, अररिया ने अपने पत्रांक 58/गो0(चुनाव), दिनांक 09.03.2019 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,फारबिसगंज के प्रस्ताव (पत्रांक 1027/अनु0, दिनांक 06.03.2019) को मूल में संलग्न करते हुए कुख्यात अपराधकर्मी नीरज कुमार यादव, पे0-रामानंद यादव, सा0-पत्थरदेवा, थाना-नरपतगंज (बथनाहा), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया है। पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 58/गो0(चुनाव), दिनांक 09.03.2019) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपराधकर्मी नीरज कुमार यादव, पे0-रामानंद यादव, सा0-पत्थरदेवा, थाना-नरपतगंज (बथनाहा), जिला-अररिया एक सक्रिय अपराधकर्मी है। आर्म्स एक्ट, सम्पतिमूलक अपराध एवं शराब सेवन के काण्डों में आरोप-पत्रित है तथा माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनका आचरण संदिग्ध है। अपराधिक रूप से सक्रिय है। इनके द्वारा मौका मिलते ही लोक शांति भंग किये जाने की संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके व्यवहार से समाज में काफी भय व्याप्त है। ये चोरी छुपे अपराधिक घटना को अंजाम देता है। इस संबंध में घुरना ओ0पी0 में सनहा संख्या-591/19 एवं 598/19, दिनांक 27.02.2019 दर्ज कराया गया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, 2019 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने अपराधिक पृष्टभूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकते है। जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की पुरी संभावना है। अपराधकर्मी नीरज कुमार यादव का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. नरपतगंज (बथनाहा) थाना कांड संख्या-72/99, दिनांक 24.04.1999, धारा- 25(1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र सं0-114/99 2. नरपतगंज (बथनाहा) थाना कांड सं0-73/99, दिनांक 29.04.99, धारा-414 भा0द0वि0। आरोप पत्र सं0-113/99 03. जोगबनी (बथनाहा) थाना कांड सं0-345/18, दिनांक 30.12.2018, धारा-37(सी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016। आरोप पत्र सं0-173/2018 अररिया जिला में आसन्न लोक सभा आम चुनाव, 2019 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी नीरज कुमार यादव, पे0-रामानंद यादव, सा0-पत्थरदेवा, थाना-नरपतगंज (बथनाहा), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी नीरज कुमार यादव को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। सूचना का विधिवत तामिला होने के पश्चात दिनांक 23.03.2019 को विपक्षी अनुपस्थित। स्पष्ट है कि उक्त वाद में विपक्षी को कुछ कहना नहीं है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त	

... आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं बैद्यनाथ यादव, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी) (1) के अन्तर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान--1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत निरूद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि संबंधित अपराधकर्मी दिनांक 24.03.2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 23.04.2019 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में दो दिन (सोमवार तथा गुरूवार) महलगाँव थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा थानाध्यक्ष, महलगाँव के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि लोक सभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। इसे संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी
अररिया
23/3/19

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 478 / विधि, दिनांक 23.3.2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया
23/3/19

ज्ञापांक 478 / विधि, दिनांक 23.3.2019

प्रतिलिपि : श्री नीरज कुमार यादव, पे0-रामानंद यादव, सा0-पत्थरदेवा, थाना-नरपतगंज(बथनाहा), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया
23/3/19